न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ।
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर,आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या – 258 / 2019
प्रार्थीगण :–

1 जालमसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह
2 देवीसिंह पुत्र श्री खेतसिंह
3 उम्मेदसिंह पुत्र श्री खेतसिंह
4 चन्दनसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह
5 सरवणसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह
6 लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री सरदारसिंह
7 श्रीमति सुवा पत्नि श्री सरदारसिंह
8 नारायणसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह
9 रूपसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह
10 हुक्मसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह
सभी जाति राजपूत निवासी भेड (रावल नगर) निम्बला बेरा
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

–: ब नाम :–

अप्रार्थीगण :–

1 शेरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह
जति राजपूत निवासी भेड (रावल नगर) निम्बला बेरा
तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

2 श्री तहसीलदार औसिया ।

उपस्थित –
प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।
अप्रार्थी की ओर से श्री घेवरराम विश्नोई एडवोकेट व सरकारी पेरोकार ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट. दिंनाक :– 5/11/19

निर्णय

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि यह है कि ग्राम भेड के खसरा नम्बर 81, 111, 480, 87, 483, 586, 802, 80 कुल खसरा नग 9 की 181 बीघा 5 बीस्वा भूमि मे 1/2 हिस्सा आईदानसिंह व खेतसिंह पुत्रगण रणजीतसिंह का था जिनके प्रार्थीगण वारिस है एवं 1/2 हिस्सा मू[illegible] वगैरा का था जिनका अप्रार्थीगण वारिस है, वंशावली स[illegible] 2015 से पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रार्थीगण के वारिस आईदानसिंह व खेतसिंह का उक्त भूमि मे 1/2 हिस्सा है एवं 1/2 हिस्से मे से 1/3 हिस्सा मूल कवंर वगैरा का व 1/6 हिस्सा अमरसिंह वगैरा का दर्ज है ।

सहायक कलेक्टर, औसिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:43:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

या प्रार्थीगण के पूर्वजो ने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि मे से किसी को
बेचान या हस्तान्तरित नही की, लेकिन भूल एवं सहवन से जमाबन्दी सम्वत
से 2046 मे शेरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह , गेनसिंह पुत्र श्री बागसिंह का 2/3
व प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जो एक सदभाविक भूल एवं
है एवं सलंग्न वंशावली के अवलोकन से सम्पूर्ण वस्तुस्थिति बखूबी स्पष्ट होती
गेनसिंह ला-औलाद फौत हुआ सलिए उसका हिस्सा भी अप्रार्थी शेरसिंह को
प्राप्त हुआ , उस समय यह भूल हो गई कि अप्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा है जब
अप्रार्थी परिवार का 1/2 हिस्सा ही थी एंव 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण परिवार का
। उक्त जो भूल एवं त्रुटी हुई है उसको संशोधित करते हुए दुरूस्त किया जाना
आवश्यक है एवं राजस्व रेकर्ड मे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी
शेरसिंह का दर्ज करना बहुत ही उचित एंव न्यायसंगत है । जो भूमि शेरसिंह ने
... की है उनका नाम भी 1/2 हिस्से मे शेरसिंह के साथ दर्ज करना उचित एवं
न्यायसंगत है लेकिन प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज करना पूर्णतया उचित एवं
न्यायसंगत है ।

प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को
नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थीगण संख्या 1 ने जबाब मे बताया कि भूल व
सहवन से जमाबन्दी सम्वत 2043 से 2046 मे 2/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा दर्ज
नही हुआ न ही कोई सदभाविक भूल हुई है स्वय् प्रार्थीगण ने एक नामान्तकरण
... माननीय न्यायालय हाजा मे वर्ष 2009 मे प्रस्तुत की जो माननीय न्यायालय
हाजा द्वारा अपील खारीज की गई जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील डिवीजनल
कमिश्नर जोधपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत की जो विचाराधीन है जिसके तथ्य
प्रार्थीगण ने न्यायालय से छुपाये है तथा वास्तविक तथ्यो को छुपाकर बनावटी तथ्यो
के आधार पर यह झुठा प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किया है
... स्वच्छ हाथो से न्यायालय नही आया है । एक तरफ प्रार्थीगण ने म्यूटेशन
... मे म्यूटेशन को चुनौती दी गई तथ [illegible] त्रुटी होने
का कथन किया इस प्रकार प्रार्थीगण का कथन अपने [illegible]
... प्रकार की त्रुटी धारा 136 मे किसी भी प्रकार से नही [illegible] जा सकती है ।
अप्रार्थीगण संख्या 2 की तरफ से सरकारी पैरोकार ने अपनी [illegible] स्थिति दर्ज करवाई
सरकारी पेरोकार ने अप्राथी से रिपोर्ट तलब कर न्यायालय मे पेश की जो सामिल
पत्रावली की गई । दोनो पक्षो को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:43:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, ...

Scanned by CamScanner

तहसीलदार की जांच रिपोर्ट मे बताया कि राजस्व रेकर्ड मिसल बन्दोबस्त व
नम्बर 81, 111, 480, 511, 483, 586, 802, के राजस्व रेकर्ड मे मु.मुल कवंर
गोविन्दसिंह , मु.लाल कवंर पत्नि श्री भोजराजसिंह 1/3 हिस्सा , अमरसिंह,
पीसरान श्री बालसिंह ब.हि.ब.1/6 हिस्सा,आईदानसिंह ,खेतसिंह पी.
सिंह ब.हि.ब.1/2 हिस्सा जाति राजपूत साकिन देह खातेदार दर्ज है ।
बन्दी सम्वत 2026 से 2029 तक मिलस बन्दोबस्त की यथारिथति दर्ज है ।
बन्दी 2030 से 2033 तहरीर करते समय अमरसिंह, ज्ञानसिंह पी. बालसिंह का
हिस्सा 1/6 हिस्सा की जगह 1/3 हिस्सा दर्ज हो गया व जमाबन्दी सम्वत 2038
2041 तहरीर करते समय खेतसिंह पी. रणजीतसिंह व आईदानसिंह के
उत्तराधिकारी नारायणसिंह, जालमसिंह, रूपसिंह , हुक्मसिंह पी.आईदानसिंह का
हिस्सा 1/2 की जगह 1/3 दर्ज हो हुआ। नामान्तकरण संख्या 431 मूल कवंर
लाऔलाद फोत होने से नाम हटाया , नामान्तकरण संख्या 536 के द्वारा लाल कवंर
लाऔलाद फौत व अमरसिंह फौत से शेरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह ,गेनसिंह पुत्र श्री
बालसिंह 2/3 हिस्सा दर्ज हुआ व अमरसिंह 2/3 हिस्सा दर्ज हुआ । नामान्तकरण
संख्या 722 बेचान से खसरा नम्बर 483 रकबा 21 बीघा 8 बीस्वा मे से शेरसिंह पुत्र
श्री अमरसिंह के 2/3 हिस्सा बेचान से खसरा नम्बर 483 रकबा 14 बीघा 5 बीस्वा
मे दिपसिंह पुत्र श्री खेतसिंह के नाम दर्ज व शेष खसरा नम्बर 483 रकबा 7 बीघा
3 बीस्वा मे भी शेरसिंह पुत्र अमरसिंह 2/3 मे दर्ज किया गया । नामान्तकरण
संख्या 791 के द्वारा बेचान से खसरा नम्बर 802 रकबा 20 बीघा 15 बीस्वा मे
शेरसिंह पुत्र श्री आमसिंह का हिस्सा बेचान से शेरसिंह पुत्र अमरसिंह की जगह
सबलसिंह पुत्र श्री आईदानसिंह 2/3 हिस्सा दर्ज हुआ इसी प्रकार नामान्तकरण
संख्या 847 रकबा 10 बीघा 4 बीस्वा मे बेचान से शेरसिंह पुत्र श्री अमरसिंह की
जगह देवीसिंह पुत्र खेतसिंह 2/3 हिस्सा दर्ज हुआ । प्रार्थी से मिली जानकारी
अनुसार नामान्तकरण संख्या 722, 847, व 722 के जरीये बेचान खसरा नम्बर 480,
443 व 802 के सम्बन्ध मे नामान्तकरण संख्या 722, 847, की द्वितीय अपील
डिवीजनल कमिश्नर कोर्ट जोधपुर मे विचाराधीन है । [illegible] पत्र मे वर्णित सभी
खसरा नम्बर मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा [illegible] कब्जा [illegible] है [illegible] अप्रार्थीगण
शेरसिंह का 1/2 हिस्सा मे कब्जा काश्त है । राजस्व रेकर्ड मिसल बन्दोबस्त व
जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2029 तक के अनुसार मौके पर कब्जा अनुसार
जालमसिंह वगैरा प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा की जगह 1/2 हिस्सा सही है ।

सहायक कलेक्टर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:43:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई जिसके वकुला फरीकेन ने अपने प्रार्थना व जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया गया ।

अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन व बहस पर मनन किया, जिस अनुसार हमारा विनिश्चय यह है कि प्रार्थना पत्र वर्णित सभी खसरा नम्बर मे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्साहै व अप्रार्थीगण शेरसिंह 1/2 हिस्सा है तथा इसी माफिक कब्जा काश्त है । राजसव रेकर्ड मिसल बन्दोबस्त व जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2029 तक के अनुसार जालमसिंह वगैरा प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा सही है इसके पश्चात सम्वत 2043 से 2046 की जमाबन्दी मे हिस्सा लिपीकिय त्रुटी से गलत लिखा गया है इसकी पुष्टी तहसीलदार की रिपोर्ट से होती है तथा तहसीलदार औसिया ने अपनी पिोर्ट मे प्रार्थीगण का हिस्सा1/3 के स्थान पर 1/2 शुद्वी करने की अभिशंशा की है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 81, 111, 480, 87, 483, 586, 802, 80 कुल खसरा नग 9 की 181 बीघा 5 बीस्वा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा के स्थान पर 1/2 हिस्सा व अप्रार्थीगण का 2/3 हिस्से के स्थान पर 1/2 हिस्सा दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार औसिया को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर हो ।

सहायक कलेक्टर औसिया

निर्णय आज दिंनाक 5/11/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:43:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर औसिया

Scanned by CamScanner